इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 25 नवम्बर 2018 अंक – 46

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

सुगम्य एप में 2 लाख 38 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता पंजीकृत

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव, 2018 की मतदाता सूची में 3 लाख 8 हजार 657 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इसमें 1 लाख 98 हजार 991 पुरूष और 1 लाख 9 हजार 666 महिला दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। जबलपुर जिले में 23 हजार 379 सर्वाधिक और श्योपुर में 2 हजार 207 सबसे कम दिव्यांग मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सुगम्य एप जारी किया गया है। सुगम्य एप में दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पंजीयन कराने पर उन्हें घर से घर तक की वाहन सुविधा तथा आवश्यकता होने पर मतदाता सहायक भी उपलब्ध रहेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार एप में 2 लाख 38 हजार 802 दिव्यांग मतदाताओं ने पंजीयन करवाया है। दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिये 55 हजार 435 मतदाता सहायकों ने पंजीयन करवाया है और 8 हजार 512 वाहन भी दिव्यांग मतदाताओं के लिये सुगम्य एप में पंजीकृत हुये हैं।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

विधानसभा चुनाव-2018 में 6 हजार से ज्यादा शिकायतों का निराकरण

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2018 में आदर्श आचरण संहिता के दौरान 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक 8 हजार 597 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 हजार 458 शिकायतों का निराकरण किया गया है। राजनैतिक दलों द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग और समितियों को 88 शिकायतें दी गई थीं, जिनका निराकरण किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की 215 शिकायतों में से 158 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं।

मीडिया से संबंधित 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 15 का निराकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिकायत सेवा समाधान में 5 हजार 858 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5 हजार 77 शिकायतों का निराकरण किया गया है। उक्त अवधि में विभिन्न पार्टियों द्वारा 285 शिकायतें की गईं जिनमें से 197 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

प्रदेश में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां

प्रदेश के बाहर से आये 33 हजार होमगार्ड चुनाव में तैनात

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव - 2018 में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिये तथा शांतिपूर्ण मतदान के उद्देश्य से केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गयी हैं। इसके साथ ही प्रदेश के बाहर से आये 33 हजार होमगार्ड भी निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किये जाएंगे।

बालाघाट जिले में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 76 कम्पनियां, भिण्ड में 24, छिन्दवाड़ा और मुरैना में 19-19, सागर और भोपाल में 18-18 कंपनियां तैनात की गयी हैं। प्रदेश के 85 प्रतिशत पुलिस बल तथा होमगार्ड के 90 प्रतिशत बल चुनाव कार्य में तैनात किये गयें हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिये बालाघाट, मण्डला और भोपाल में एक-एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। संचार व्यवस्था बेहतर करने के लिये 20 सेटेलाइट फोन एवं 28 हजार वायरलेस सेट चुनाव में उपयोग किये जा रहे हैं।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

आचार संहिता में अब तक 68 करोड़ से अधिक की सामग्री जप्त

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव 2018 में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में अब तक 68 करोड़ 93 लाख रुपये की नगदी, सोना-चांदी, अवैध शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थ और

अन्य सामग्री जप्त की गई है। इसमें 29 करोड़ 53 लाख रुपये नगद राशि, 10 करोड़ 41 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी, 13 करोड़ 70 लाख राशि की अवैध शराब, 5 करोड़ 64 लाख रूपये से अधिक कीमत के ड्रग्स और नशीले पदार्थ तथा 9 करोड़ 63 लाख रूपये से अधिक की अन्य सामग्री जांच के दौरान जप्त की गई है।

आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद अब तक बड़ी कार्यवाही के रूप में बड़वानी जिले में 1 करोड़ 50 लाख रुपये की एवं छतरपुर जिले में 60 लाख रुपश्े नगद राशि, अशोकनगर जिले में 33 लाख 23 हजार रूपये और मन्दसौर जिले में 10 लाख 37 हजार रूपये की अवैध मदिरा जब्त की गई। मुरैना जिले में 2 करोड़ 48 लाख रूपये और गुना में 89 लाख 7 हजार रूपये की सोना-चांदी जब्त हुई है। मन्दसौर जिले में 4 करोड़ 96 लाख रूपये की ड्रग्स जब्त की गयी। बुरहानपुर जिले में 1 करोड़ 24 लाख 85 हजार रूपये के नशीले पदार्थ, कटनी जिले में 17 लाख 77 हजार रूपये की अन्य सामग्री जब्त की गई है।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

प्रदेश में 1 लाख 77 हजार 854 व्यक्तियों पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद प्रदेश में 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 1 लाख 77 हजार 854 लोगों पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई है। इसी दौरान 52 हजार 930 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही 4 हजार 947 अवैध हथियार जप्त किये गये हैं और 2 लाख 61 हजार 664 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 20 लाख 2 हजार 69 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 19 लाख 45 हजार 922 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 14 लाख 71 हजार 226 प्रकरण पंजीबद्ध कर 14 लाख 35 हजार 241 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 5 लाख 30 हजार 843 प्रकरण पंजीबद्ध कर 5 लाख 10 हजार 681 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। उक्तावधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 14 हजार 112 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

प्रदेश में दो पेट्रोल पम्प और पांच मदिरा दुकानें सील

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव 2018 आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद बालाघाट जिले में 2 पेट्रोल पम्प द्वारा पर्ची के आधार पर पार्टी विशेष के वाहनों को पेट्रोल दिये जाने पर एफएसटी ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराई। जांच के दौरान शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई और पेट्रोल पम्प संचालक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर पेट्रोल पम्प सील किया गया।

छिन्दवाड़ा जिले में दो देशी मदिरा और एक विदेशी मदिरा दुकान पर थोक मात्रा में मदिरा विक्रय के कारण 23 नवम्बर से 26 नवम्बर तक छिन्दवाड़ा कलेक्टर द्वारा लायसेंस निलम्बित कर मदिरा दुकानें सील की गईं। इसी प्रकार भोपाल में एक देशी मदिरा दुकान और एक विदेशी मदिरा दुकान को देर रात्रि खुले रहने और थोक में मदिरा विक्रय के कारण भोपाल कलेक्टर द्वारा दुकानों के लायसेंस 26 नवम्बर तक निलम्बित कर दुकानों को सील किया गया।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

मदिरा भण्डार गृह और फैक्ट्रियों पर सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। प्रदेश के सभी 52 जिलों में 187 देशी मदिरा और 82 विदेशी मदिरा की दुकानों पर 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री होने के कारण ये दुकानें संवेदनशील मदिरा दुकानों के रूप में चिन्हित की गयी है। इन दुकानों की सतत् निगरानी और निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 11 आसवनी, 7 ब्रेवरीज एवं विदेशी मदिरा के 14 और देशी मदिरा के 13 बाटलिंग प्लान्ट तथा 14 विदेशी मदिरा भण्डार गृह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। सशस्त्र बल और विभागीय अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। अन्तर्राज्यीय सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में प्रदेश की 130 और अन्य राज्यों की 84 मदिरा दुकानों पर नियंत्रण रखने के लिये बॉर्डर मीटिंग्स में परिवहन, विक्रय और अवैध संधारण पर अंकुश लगाने के लिये कार्य-योजना अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के 72 घंटे पूर्व निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस से 72 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश दिये हैं। आयोग ने निर्देशित किया कि मतदाता को प्रलोभन के लिये किसी भी प्रकार की सामग्री, नगदी वितरण की प्रभावी रोकथाम के लिये कड़ी निगाह रखी जाये। अन्तर्राज्यीय नाकों एवं चैक पोस्ट पर सतत् निगरानी हो । अवैध शराब एवं हथियारों की जब्ती एवं परिवहन की रोकथाम की जाये। जिले में बाहर से आने वाले हथियार लायसेंस धारियों को उपयुक्त दस्तावेज और जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना प्रवेश न दिया जाये। व्यावसायिक वाहनों के परिवहन पर सख्त निगरानी कर जांच की जाए। अन्य राज्यों तथा जिलों के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएं और जिले के असामाजिक तत्वों के संचलन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों से समन्वय स्थापित कर अवैध हथियार, शराब, असामाजिक और हानिकारक तत्वों पर प्रभावी रोकथाम की जायें और 72 घंटे पूर्व सभी अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील किया जाए।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व "शुष्क दिवस" घोषित

पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों में 3 किलोमीटर तक भी " शुष्क दिवस" रहेगा

भोपाल : रविवार, 25 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व, अर्थात् 26 नवम्बर की सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक “शुष्क दिवस” घोषित किया है। इसी के साथ प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 3 किलोमीटर तक मदिरा निषेध के आदेश संबंधित राज्य सरकारों ने जारी किये हैं। यह व्यवस्था पुनर्मतदानों के दिनों में भी लागू रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार इस अवधि में मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, सार्वजनिक और निजी स्थान के साथ-साथ गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध हैं, उन्हें भी “शुष्क दिवस” की समयावधि में शराब बिक्री सेवा की अनुमति नहीं

होगी। स्प्रिटयुक्त, किण्वित, तरल अथवा मादक पदार्थ, शराब और वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ न विक्रय किये जायेगें, न दिया जाएगा, न वितरित किये जायेंगे और कब्जे में पाये जाने पर निषेधात्मक कार्यवाही होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह तक की सजा या 2000 रूपये तक का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव, 2018 की मतगणना 11 दिसंबर के दिन भी “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को “शुष्क दिवस”के संबंध में कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

===

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP